Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 302/2026

श्री नवीन गिरी
ग्राम– ग्वाडपजेणा, पो0ऑ0– डंगोली,
जिला– बागेश्वर।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
बागेश्वर। ।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या बी.जी 02308106272 के सापेक्ष जून 2025 में रू0 70807 का बिल प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् अगस्त 2025 में 85579 का बिल प्राप्त हुआ। उन्होने यह भी बताया कि उनके विद्युत संयोजन के 08 किलोवाट भार के सापेक्ष 10 किलोवाट के अनुसार बिल निर्गत किये जा रहे है। उन्होने यह भी बताया कि विभाग द्वारा मार्च 2025 तक के.डब्लू. एच आधारित बिल निर्गत किये गये थे लेकिन इसके पश्चात् बिना किसी सूचना के केडब्लूएच0 /केवीएएच में एक साथ वसूले जा रहे हैं जो कि गलत है। उन्होने सभी बिलों को केडब्लूएच0 रीडिंग आधारित निर्गत करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1183 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से श्री नवीन गिरी उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से श्री आनंद खोलिया एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। वादी का कहना था कि उनके बिल मार्च 2025 तक जमा किये गये है लेकिन अप्रैल में कोई बिल नहीं आया। इसके पश्चात् जून के महिने में 70870 का बिल प्राप्त हुआ है जो कि गलत है। विभाग का कहना था कि वादी के बिल मार्च 2025 तक केडब्लूएच0 आधार पर निर्गत कियं गये थे जबकि 01.04.2024 से आई.पी. संयोजन की बिलिंग के.वी.ए.एच के अनुसार होनी थी जबकि त्रुटिवश इनकी बिलिंग के.डब्लू.एच में होती रही। विभाग ने बताया कि अपनी इस त्रुटि को सुधारते हुए 01.04.2024 से एम.आर.आई रिपोर्ट के आधार पर केवीएएच0 में बिलिंग की गयी तथा बिल में 8889.7 रू0 का क्रेडिट देते हुए नेट बिल रू0 71689.08 का निर्गत हुआ था जिससे वादी संतुष्ट नहीं हैं।

विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह एम.आर.आई रिपोर्ट के आधार पर 01.04.2024 से के.वी.ए.एच में बिलिंग कर तथा वादी द्वारा किये गये भुगतान के समायोजन के पश्चात् बिना एल.पी.एस.सी के संशोधित बिल के साथ अपनी आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

3/7/26

3/7/26

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 30.05.2026 में वादी की तरफ से श्री नवीन गिरी उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग ने अपने पंत्राक 1253 दिनांक 30.04.2026 द्वारा बिलों की गणना प्रेषित की है जो कि स्पष्ट नहीं है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह बिलिंग हिस्ट्री के साथ 01.04.2024 से पहले तथा इसके बाद की के.डब्लू.एच/ के.वी.ए एच की स्पष्ट गणना के साथ, एम.आर.आई रिपोर्ट के आधार पर परिक्षण कर अपनी रिपोर्ट, वादी के परिसर में लगे कैपिसिटर के विवरण के साथ 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 29.05.2026 प्रस्तावित कैंप खंड कार्यालय (बा0) में नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई तिथि 29.05.2026 में वादी की तरफ से श्री नवीन गिरी तथा विभाग की तरफ से कु0 पूजा पंत ए.ई.आर.उपस्थित हुयी। वादी ने बताया कि उन्हें अपनी संतुष्टि के लिए 01.04.2024 से आज तक के डब्लू.एच तथा के.वी.ए.एच के आधार पर प्रतिमाह निर्गत बिल तथा भुगतान के विवरण की जरूरत है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह 10 दिन के अंदर उपरोक्त विवरण वादी को उपलब्ध कराएं तथा इसकी एक प्रतिलिपि मंच के समक्ष 15 दिन के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि दिनांक 17.06.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 तथा 07.07.2026 में वादी की तरफ से श्री नवीन गिरी उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग ने मंच की पिछली सुनवायी दिनांक 29.05.2026 के अनुक्रम में, दिनांक 01.04.2024 से केडब्लू.एच तथा के.वी.ए.एच के आधार पर प्रतिमाह निर्गत बिल तथा भुगतान का विवरण वादी को उपलब्ध कराया था वादी ने मंच की सुनवायी दिनांक 07.07.2026 में इस विवरण पर आपत्ति दर्ज की थी। उन्होने बताया कि एम.आर.आई. के पश्चात् निर्गत के.वी.ए.एच तथा के.डब्लू. एच. रीडिंगस् में प्रतिमाह 20 से 30 प्रतिशत का अंतर है, (के.वी.ए.एच. अधिक है) जबकि एम.आर.आई. से पहले के महिनों में यह 200 प्रतिशत से भी अधिक का अंतर आ रहा है। उनका कहना है कि एम.आर.आई. के पश्चात् के.वी.ए.एच. के आधार पर की गयी बिलिंग सही है, जबकि दिनांक 30.07.2025 को की गयी एम.आर. आई से पहले के बिलों में भारी त्रुटि है और यह बिल बिना एम.आर.आई के लम्सम् रीडिंग के आधार पर बनाये गये है जो कि गलत है। उनका यह भी कहना था कि केवीएएच0 आधार पर बिलिंग दिनांक 01.04.2024 से लागू हुयी हैं जबकि विभाग ने मार्च 2024 में 23 दिन की बिलिंग केवीएएच0 के आधार पर की है जो कि गलत है। उन्होने अनुरोध किया है कि दिनांक 01.04.2024 से अगस्त 2025 की अवधि की एम.आर.आई उनकी उपस्थिति में की जाएं। विभाग को निर्देशित किया गया था कि मीटर की एम.आर.आई वादी की उपस्थिति में दिनांक 01.04.2024 से 31.08.2025 की अवधि के लिए दुबारा की जाएं ताकि विभाग द्वारा प्रेषित और वादी द्वारा विवादित के.वी.ए.एच रीडिंगस् की उचित पुष्टि हो सके। विभाग को कहा गया था कि वह उपरोक्त एम.आर.आई. कराकर तथा मार्च 2024 की के.वी.ए.एच बिलिंग का पुनः निरीक्षण कर अपनी विस्तृत आख्या 15 दिन के अंदर देना सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई तिथि–31.07.2026 को नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से श्री नवीन गिरी उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से पंत्राक 2033 दिनांक 31.07.2026 के माध्यम से बताया गया है कि वादी द्वारा एम.आर.आई के पश्चात् के.डब्लू.एच तथा के.वी.ए.एच रीडिंग में प्रतिमाह 20–30 प्रतिशत के अंतर जबकि 30.07.2025 के पूर्व महिनों में 200 प्रतिशत का अंतर बताया गया है। विभाग का कहना है कि सिंतबर 2024 से जुलाई 2026 तक के के. डब्लू.एच/ के.वी.ए.एच यूनिट में अंतर उपरोक्त अवधि के लिए लगभग समान है। विभाग का कहना है कि वादी की औसत एमडी0 15 किलोवाट है जबकि स्वीकृत भार 08 किलोवाट है जिसके लिए वादी द्वारा विद्युत भार बढाने के लिए आवेदन करने की जरूरत है। विभाग का यह भी कहना है कि वादी के बिल 01.04.2024 के पश्चात् ही केवीएएच0 आधारित निर्गत किये गये है ना कि मार्च 2024 की 23 दिन के लिए भी वादी के कथानुसार। विभाग का कहना है कि वादी को अनेक बार एमआरआई0 रिपोर्ट पूर्व में उपलब्ध करायी गयी है तथा उपरोक्त अंतराल के बिल एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर ही प्रेषित किये गये है और अब तकनीकी परिसीमी के कारण एक वर्ष से पूर्व कर एमआरआई रिपोर्ट उपलब्ध करवाना संभव नहीं है।

यह प्रकरण 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की बिलिंग के.डब्लू.एच में करने तथा 01.04.2024 से केवीएएच0 के आधार पर करने से बकाया राशि का बिल निर्गत करने के कारण हुयी है। यह बड़े खेद का विषय है कि जब माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 01.04.2024 के पश्चात् ऐसे संयोजन की बिलिंग के.वी.ए.एच के आधार पर करनी थी तो विभाग द्वारा एक साल तक यानि 31.03.2025 तक यह पुराने टैरिफ के.डब्लू.एच पर

31/07/26

31/7/2026

क्यों की जा रही थी। इसके लिए विभाग को कहा जाता है कि वह संबंधित अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही करें।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 01.04.2024 से निर्गत सभी बिलों में एल.पी.एस. सी चार्जेज को वापिस लें तथा संशोधित बिल वादी को, 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। विभाग को कहा जाता है कि वह भविष्य में नियमित रूप से बिल वादी को उपलब्ध कराएं।

आदेश

यह प्रकरण 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की बिलिंग के.डब्लू.एच में करने तथा 01.04.2024 से केवीएएच0 के आधार पर करने से बकाया राशि का बिल निर्गत करने के कारण हुयी है। यह बड़े खेद का विषय है कि जब माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 01.04.2024 के पश्चात् ऐसे संयोजन की बिलिंग के.वी.ए.एच के आधार पर करनी थी तो विभाग द्वारा एक साल तक यानि 31.03.2025 तक यह पुराने टैरिफ के.डब्लू.एच पर क्यों की जा रही थी। इसके लिए विभाग को कहा जाता है कि वह संबंधित अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही करें।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 01.04.2024 से निर्गत सभी बिलों में एल.पी.एस. सी चार्जेज को वापिस लें तथा संशोधित बिल वादी को, 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। विभाग को कहा जाता है कि वह भविष्य में नियमित रूप से बिल वादी को उपलब्ध कराएं।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 30 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 31.07.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora -- 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 303/2026

श्री राजेन्द्र प्रसाद,
ग्राम– स्यालीस्टेट, पो0ऑ0– डंगोली,
जिला– बागेश्वर। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
बागेश्वर। । प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या बी.जी 02308879692 के सापेक्ष मार्च 2025 में उनके द्वारा 10115 रू0 का बिल जमा कराया गया इसके पश्चात् उन्हे 39000 का बिल प्राप्त हुआ। उन्होने बताया कि उन्हे सितबंर 2025 में 46085 रू तथा अक्टूबर 2025 में 77149 के बिल निर्गत हुए। इसके पश्चात् उन्हे कोई बिल प्राप्त नहीं हुए। उन्होने बताया कि उनके विद्युत संयोजन के 08 किलोवाट भार के सापेक्ष 10 किलोवाट के अनुसार बिल निर्गत किये जा रहे है। उन्होने यह भी बताया कि विभाग द्वारा मार्च 2025 तक के.डब्लू.एच आधारित बिल निर्गत किये गये थे लेकिन इसके पश्चात् बिना किसी सूचना के केडब्लूएच0 /केवीएएच में एक साथ वसूले जा रहे हैं जो कि गलत है। उन्होने बिलों को केडब्लूएच0 रीडिंग आधारित निर्गत करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1184 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से श्री राजेन्द्र प्रसाद उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से श्री आनंद खोलिया एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। वादी का कहना था कि उनके बिल मार्च 2025 तक जमा किये गये है लेकिन इसके बाद 39000 रू0 का बिल निर्गत हुआ है। उन्होने यह भी कहा है कि उनके विद्युत भार के 08 किलोवाट भार के सापेक्ष 10 किलोवाट के अनुसार बिल निर्गत किये जा रहे है जो कि गलत है। विभाग का कहना था कि 01.04.2024 से आई.पी. संयोजन की बिलिंग के.वी.ए.एच के अनुसार होनी थी जबकि त्रुटिवश इनकी बिलिंग के.डब्लू.एच में होती रही।

विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह एम.आर.आई रिपोर्ट के आधार पर 01.04.2024 से के.वी.ए.एच में बिलिंग कर तथा वादी द्वारा किये गये भुगतान के समायोजन के पश्चात् बिना एल.पी.एस.सी के संशोधित बिल के साथ अपनी आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

3/07/26

3/7/2026

Received

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 30.04.2026 में वादी की तरफ से श्री राजेन्द्र प्रसाद उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग ने अपने पंत्राक 1250 दिनांक 29.04.2026 द्वारा बिलों की गणना प्रेषित की है जो कि स्पष्ट नहीं है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह बिलिंग हिस्ट्री के साथ 01.04.2024 से पहले तथा इसके बाद की के.डब्लू.एच/ के.वी.ए एच की स्पष्ट गणना के साथ, एम.आर.आई रिपोर्ट के आधार पर परिक्षण कर अपनी रिपोर्ट, वादी के परिसर में लगे कैपिसिटर के विवरण के साथ 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 29.05.2026 प्रस्तावित कैंप खंड कार्यालय (बा0) में नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई तिथि 29.05.2026 में वादी की तरफ से श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा विभाग की तरफ से कु0 पूजा पंत ए.ई.आर.उपस्थित हुयी। वादी ने बताया कि उन्हें अपनी संतुष्टि के लिए 01.04.2024 से आज तक के डब्लू.एच तथा के.वी.ए.एच के आधार पर प्रतिमाह निर्गत बिल तथा भुगतान के विवरण की जरूरत है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह 10 दिन के अंदर उपरोक्त विवरण वादी को उपलब्ध कराएं तथा इसकी एक प्रतिलिपि मंच के समक्ष 15 दिन के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि दिनांक 17.06.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 तथा 07.07.2026 में वादी की तरफ से श्री राजेन्द्र प्रसाद उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग ने मंच की पिछली सुनवायी दिनांक 29.05.2026 के अनुक्रम में, दिनांक 01.04.2024 से केडब्लू.एच तथा के.वी.ए.एच के आधार पर प्रतिमाह निर्गत बिल तथा भुगतान का विवरण वादी को उपलब्ध कराया था। वादी ने मंच की सुनवायी में इस विवरण पर आपत्ति दर्ज की थी। उन्होने बताया कि एम.आर.आई. के पश्चात् निर्गत के.वी.ए.एच तथा के.डब्लू.एच. रीडिंगस् में प्रतिमाह 20 से 30 प्रतिशत का अंतर है, (के.वी.ए.एच. अधिक है) जबकि एम.आर.आई. से पहले के महिनों में यह 200 प्रतिशत से भी अधिक का अंतर आ रहा है। उनका कहना था कि एम.आर.आई. के पश्चात् के.वी.ए.एच. के आधार पर की गयी बिलिंग सही है, जबकि दिनांक 30.07.2025 को की गयी एम.आर.आई से पहले के बिलों में भारी त्रुटि है और यह बिल बिना एम.आर.आई के लम्सम् रीडिंग के आधार पर बनाये गये है जो कि गलत है। उनका यह भी कहना था कि केवीएएच0 आधार पर बिलिंग दिनांक 01.04.2024 से लागू हुयी हैं जबकि विभाग ने मार्च 2024 में 23 दिन की बिलिंग केवीएएच0 के आधार पर की है जो कि गलत है। उन्होने अनुरोध किया है कि दिनांक 01.04.2024 से अगस्त 2025 की अवधि की एम.आर.आई उनकी उपस्थिति में की जाएं। विभाग को निर्देशित किया गया था कि मीटर की एम.आर.आई वादी की उपस्थिति में दिनांक 01.04.2024 से 31.08.2025 की अवधि के लिए दुबारा की जाएं ताकि विभाग द्वारा प्रेषित और वादी द्वारा विवादित के.वी.ए.एच रीडिंगस् की उचित पुष्टि हो सके। विभाग को कहा गया था कि वह उपरोक्त एम.आर.आई. कराकर तथा मार्च 2024 की के.वी.ए.एच बिलिंग का पुनः निरीक्षण कर अपनी विस्तृत आख्या 15 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई तिथि–31.07.2026 को नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से श्री राजेन्द्र प्रसाद उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से पंत्राक 2031 दिनांक 31.07.2026 के माध्यम से बताया गया है कि वादी द्वारा एम.आर.आई के पश्चात् के.डब्लू.एच तथा के.वी.ए.एच रीडिंग में प्रतिमाह 20–30 प्रतिशत के अंतर जबकि 30.07.2025 के पूर्व महिनों में 200 प्रतिशत का अंतर बताया गया है। विभाग का कहना है कि सिंतबर 2024 से जुलाई 2026 तक के के.डब्लू.एच/ के.वी.ए.एच यूनिट में अंतर उपरोक्त अवधि के लिए लगभग समान है। विभाग का यह भी कहना है कि वादी के मीटर की एमआरआई0 तकनीकी परिसीमन के कारण संभव नहीं है। इसकी वजह से वादी के बिल की गणना 01.04.2024 से 16.04.2025 के अंतराल के लिए तद्दिनांक उपयुक्त पॉवर फैक्टर के आधार पर औसत 472 केवीएएच0 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर की गयी है। तथा वर्तमान में बिल की गणना मीटर में उपलब्ध सटीक केडब्लुएच0 एंव केवीएएच0 के आधार पर की जा रही है। विभाग का कहना है कि वर्तमान में वादी का औसत केवीएएच0 उपभोग दिनांक 16.04.2025 से 27.06.2026 अवधि के लिए 887 केवीएएच0 यूनिट प्रतिमाह है। जिससे स्पष्ट है कि वादी के बिल की गणना न्यूनतम केवीएएच यूनिट उपभोग पर की गयी है और वादी के बिल में किसी भी तरह का बिल संशोधन संभव नहीं है। विभाग का यह भी कहना है कि केवीएएच0 आधारित बिलिंग 01.04.2025 के पश्चात् की गयी है ना कि वादी के कथानुसार मार्च 2024 के 23 दिन के अंतराल के लिए।

यह प्रकरण 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की बिलिंग के.डब्लू.एच में करने तथा 01.04.2024 से केवीएएच0 के आधार पर करने से बकाया राशि का बिल निर्गत करने के कारण हुयी है। यह बड़े खेद का विषय है कि जब माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 01.04.2024 के पश्चात् ऐसे संयोजन की बिलिंग के.वी.ए.एच के आधार पर करनी थी तो विभाग द्वारा एक साल तक यानि 31.03.2025 तक यह पुराने टैरिफ के.डब्लू.एच पर

31/07/26 31/7/2026

क्यों की जा रही थी। इसके लिए विभाग को कहा जाता है कि वह संबंधित अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही करें।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 01.04.2024 से निर्गत सभी बिलों में एल.पी.एस. सी चार्जेज को वापिस लें तथा संशोधित बिल वादी को, 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। विभाग को कहा जाता है कि वह भविष्य में नियमित रूप से बिल वादी को उपलब्ध कराएं।

आदेश

यह प्रकरण 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की बिलिंग के.डब्लू.एच में करने तथा 01.04.2024 से केवीएएच0 के आधार पर करने से बकाया राशि का बिल निर्गत करने के कारण हुयी है। यह बड़े खेद का विषय है कि जब माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 01.04.2024 के पश्चात् ऐसे संयोजन की बिलिंग के.वी.ए.एच के आधार पर करनी थी तो विभाग द्वारा एक साल तक यानि 31.03.2025 तक यह पुराने टैरिफ के.डब्लू.एच पर क्यों की जा रही थी। इसके लिए विभाग को कहा जाता है कि वह संबंधित अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही करें।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 01.04.2024 से निर्गत सभी बिलों में एल.पी.एस. सी चार्जेज को वापिस लें तथा संशोधित बिल वादी को, 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। विभाग को कहा जाता है कि वह भविष्य में नियमित रूप से बिल वादी को उपलब्ध कराएं।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 31.07.2026

31/07/26

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

31/7/26

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

Tiwari

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 304 / 2026

श्री संदीप सिंह,
ग्राम– पूरड़ा, पो0ऑ0– गागरीगोल,
जिला– बागेश्वर।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
बागेश्वर। ।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या बी.जी 02308955773 के सापेक्ष जुलाई 2025 में रू0 80875 का बिल प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् अगस्त 2025 में 58293, सितबंर 2025 में 66923, अक्टुबर 2025 में 75839, नवबंर 2025 में 68463, दिसबंर 2025 में 79274, जनवरी 2026 में 82092, फरवरी 2026 में 47609 तथा मार्च 2026 में 59765 के बिल प्राप्त हुए जिसके क्रम में उन्होने रू0 8102, रू0 8630,10,000,12,820 तथा 35,000 के भुगतान किये है। उन्होने यह भी बताया कि उनके विद्युत संयोजन के 08 किलोवाट भार के सापेक्ष 10 किलोवाट के अनुसार बिल निर्गत कियं जा रहे है। उन्होने यह भी बताया कि विभाग द्वारा मार्च 2025 तक के.डब्लू.एच आधारित बिल निर्गत किये गये थे लेकिन इसके पश्चात् बिना किसी सुचना के केडब्लूएच0 / केवीएएच में एक साथ वसूले जा रहे हैं जो कि गलत है। उन्होने सभी बिलों को केडब्लूएच0 रीडिंग आधारित निर्गत करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1185 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से श्री संदीप सिंह उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से श्री आनंद खोलिया एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। वादी का कहना था कि उनके संयोजन संख्या बी.जी. 02308955773 के सापेक्ष जून 2025 तक बिल जमा किया गया है, लेकिन जुलाई 2025 में रू0 80875 का बिल निर्गत हुआ है। उन्होने यह भी कहा है कि स्वीकृत भार 08 किलोवाट के सापेक्ष 10 कलोवाट के अनुसार बिलिंग की जा रही है। विभाग का कहना था कि 01.04.2024 से आई.पी. संयोजन की बिलिंग के.वी.ए.एच के अनुसार होनी थी जबकि त्रुटिवश इनकी बिलिंग के.डब्लू.एच में होती रही जिसके संशोधन के फलस्वरूप उपरोक्त बिल निर्गत हुआ है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह एम.आर.आई रिपोर्ट के आधार पर 01.04.2024 से के.वी.ए.एच में बिलिंग कर तथा वादी द्वारा किये गये भुगतान के समायोजन के पश्चात् बिना एल.पी.एस.सी के संशोधित बिल के साथ अपनी आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 30.05.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग ने अपने पंत्राक 1253 दिनांक 30.04.2026 द्वारा बिलों की गणना प्रेषित की है जो कि स्पष्ट नहीं है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह बिलिंग हिस्ट्री के साथ 01.04.2024 से पहले तथा इसके बाद की के.डब्लू. एच/ के.वी.एच की स्पष्ट गणना के साथ, एम.आर.आई रिपोर्ट के आधार पर परिक्षण कर अपनी रिपोर्ट, वादी के परिसर में लगे कैपिसिटर के विवरण के साथ 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 29.05.2026 प्रस्तावित कैंप खंड कार्यालय (बा0) में नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई तिथि 29.05.2026 में वादी की तरफ से श्री संदीप सिंह तथा विभाग की तरफ से कु0 पूजा पंत ए.ई.आर.उपस्थित हुयी। वादी ने बताया कि उन्हें अपनी संतुष्टि के लिए 01.04.2024 से आज तक के डब्लू.एच तथा के.वी.ए.एच के आधार पर प्रतिमाह निर्गत बिल तथा भुगतान के विवरण की जरूरत है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह 10 दिन के अंदर उपरोक्त विवरण वादी को उपलब्ध कराएं तथा इसकी एक प्रतिलिपि मंच के समक्ष 15 दिन के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि दिनांक 17.06. 2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 तथा 07.07.2026 में वादी की तरफ से श्री संदीप सिंह उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग ने मंच की पिछली सुनवायी दिनांक 29.05.2026 के अनुक्रम में, दिनांक 01.04.2024 से के.वी.एच तथा के.वी.ए.एच के आधार पर प्रतिमाह निर्गत बिल तथा भुगतान का विवरण वादी को उपलब्ध कराया था वादी ने मंच की सुनवायी दिनांक 07.07.2026 में इस विवरण पर आपत्ति दर्ज की है। उन्होने बताया कि एम.आर.आई. के पश्चात् निर्गत के.वी.ए.एच तथा के.डब्लू.एच. रीडिंगस् में प्रतिमाह 20 से 30 प्रतिशत का अंतर है, (के.वी.ए.एच. अधिक है) जबकि एम.आर.आई. से पहले के महिनों में यह 200 प्रतिशत से भी अधिक का अंतर आ रहा है। उनका कहना है कि एम.आर.आई. के पश्चात् के.वी.ए.एच. के आधार पर की गयी बिलिंग सही है, जबकि दिनांक 30.07.2025 को की गयी एम.आर.आई से पहले के बिलों में भारी त्रुटि है और यह बिल बिना एम.आर.आई के लम्सम् रीडिंग के आधार पर बनाये गये है जो कि गलत है। उनका यह भी कहना था कि केवीएएच0 आधार पर बिलिंग दिनांक 01.04.2024 से लागू हुयी हैं जबकि विभाग ने मार्च 2024 में 23 दिन की बिलिंग केवीएएच0 के आधार पर की है जो कि गलत है। उन्होने अनुरोध किया है कि दिनांक 01.04.2024 से अगस्त 2025 की अवधि की एम.आर.आई उनकी उपस्थिति में की जाएं। विभाग को निर्देशित किया गया था कि मीटर की एम.आर.आई वादी की उपस्थिति में दिनांक 01.04. 2024 से 31.08.2025 की अवधि के लिए दुबारा की जाएं ताकि विभाग द्वारा प्रेषित और वादी द्वारा विवादित के. वी.ए.एच रीडिंगस् की उचित पुष्टि हो सके। विभाग को कहा गया था कि .वह उपरोक्त एम.आर.आई. कराकर तथा मार्च 2024 की के.वी.ए.एच बिलिंग का पुनः निरीक्षण कर अपनी विस्तृत आख्या 15 दिन के अंदर देना सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई तिथि–31.07.2026 को नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से श्री संदीप सिंह उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से पंत्राक 2032 दिनांक 31.07.2026 के माध्मय से बताया गया है कि वादी द्वारा एम.आर.आई के पश्चात् के.डब्लू.एच तथा के.वी.ए.एच रीडिंग में प्रतिमाह 20–30 प्रतिशत के अंतर जबकि 30.07.2025 के पूर्व महिनों में 200 प्रतिशत का अंतर बताया गया है। विभाग का कहना है कि सिंतबर 2024 से जुलाई 2026 तक के के. डब्लू.एच/ के.वी.ए.एच यूनिट में अंतर उपरोक्त अवधि के लिए लगभग समान है। विभाग का कहना है कि वादी की एम.डी 15 किलोवाट है जबकि स्वीकृत भार 08 किलोवाट है जिसके सापेक्ष अतिरिक्त भार / मांग पर प्रभार लगाया गया है। वादी का कहना है कि के.वी.ए.एच की बलिंग मार्च 2024 के 23 दिन के अंतराल के लिये भी के.वी.ए.एच के आधार पर की गयी है। जबकि विभाग का कहना है कि 01.04.2024 के पश्चात् ही के.वी.ए.एच के आधार पर ही बिलिंग हुयी है। वादी का कहना है कि उनका स्वीकृत भार 08 किलोवाट है और प्रत्येक बिल में हर महिने 08 किलोवाट ही अंकित है। उन्होने यह भी कहा है कि उन्हें विभाग की तरफ से कभी भी 8 किलोवाट से 15 किलोवाट के लिए कोई भी सुचना प्राप्त नहीं हुयी है। विभाग का कहना है कि वादी की औसत एमडी0 15 किलोवाट है जबकि स्वीकृत भार 08 किलोवाट है जिसके लिए वादी द्वारा विद्युत भार बढाने के लिए आवेदन करने की जरूरत है। विभाग का यह भी कहना है कि वादी के बिल 01.04.2024 के पश्चात् ही केवीएएच0 आधारित निर्गत किये गये है ना कि मार्च 2024 की 23 दिन के लिए भी वादी के कथानुसार। विभाग का कहना है कि वादी को अनेक बार एमआरआई0 रिपोर्ट पूर्व में उपलब्ध करायी गयी है तथा उपरोक्त अंतराल के बिल एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर ही प्रेषित किये गये है और अब तकनीकी परिसीमी के कारण एक वर्ष से पूर्व कर एमआरआई रिपोर्ट उपलब्ध करवाना संभव नहीं है।

यह प्रकरण 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की बिलिंग के.डब्लू.एच में करने तथा 01.04.2024 से केवीएएच0 के आधार पर करने से बकाया राशि का बिल निर्गत करने के कारण हुयी है। यह बड़े खेद का विषय है कि जब माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 01.04.2024 के पश्चात् ऐसे संयोजन की बिलिंग के.वी.ए.एच के

आधार पर करनी थी तो विभाग द्वारा एक साल तक यानि 31.03.2025 तक यह पुराने टैरिफ के.डब्लू.एच पर क्यों की जा रही थी। इसके लिए विभाग को कहा जाता है कि वह संबंधित अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही करें।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 01.04.2024 से निर्गत सभी बिलों में एल.पी.एस. सी चार्जेज को वापिस लें तथा प्रत्येक माह अंकित एम.डी के आधार पर अतिरिक्त भार/मांग पर प्रभार की पुनः गणना करते हुए, संशोधित बिल वादी को, 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। विभाग को कहा जाता है कि वह भविष्य में नियमित रूप से बिल वादी को उपलब्ध कराएं।

आदेश

यह प्रकरण 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की बिलिंग के.डब्लू.एच में करने तथा 01.04.2024 से केवीएएच0 के आधार पर करने से बकाया राशि का बिल निर्गत करने के कारण हुयी है। यह बड़े खेद का विषय है कि जब माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 01.04.2024 के पश्चात् ऐसे संयोजन की बिलिंग के.वी.ए.एच के आधार पर करनी थी तो विभाग द्वारा एक साल तक यानि 31.03.2025 तक यह पुराने टैरिफ के.डब्लू.एच पर क्यों की जा रही थी। इसके लिए विभाग को कहा जाता है कि वह संबंधित अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही करें।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 01.04.2024 से निर्गत सभी बिलों में एल.पी.एस. सी चार्जेज को वापिस लें तथा प्रत्येक माह अंकित एम.डी के आधार पर अतिरिक्त भार/मांग पर प्रभार की पुनः गणना करते हुए, संशोधित बिल वादी को, 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। विभाग को कहा जाता है कि वह भविष्य में नियमित रूप से बिल वादी को उपलब्ध कराएं।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 31.07.2026

31/07/26

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

31/7/2026

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 309/2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0,
भतौरजखान, भिक्यिासैंण,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
भिक्यिासैंण,
अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने मंच कार्यालय में नवबंर 2024 में शिकायत दर्ज की थी जिसको वाद संख्या 204/2024 के अंर्तगत पंजीकृत किया गया था। वादी तथा प्रतिवादी से सुनवायी एंव प्रेषित दस्तावेजों के आधार पर, इस मंच द्वारा दिनांक 13.01.2025 के आदेश के अंर्तगत विभाग को निर्देशित किया था कि वह खराब मीटर बदले जाने से पहले, सही मीटर के समय की रीडिंग के आधार पर संशोधित बिल 07 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराएं।

2.उपरोक्त आदेश के विरूद्व वादी ने माननीय विद्युत लोकपाल में अपील दर्ज की थी। माननीय विद्युत लोकपाल ने अपने आवार्ड/आदेश दिनांक 11.07.2025 के द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए मंच के आदेश दिनांक 13.01.2025 में संशोधन करते हुए विभाग को निर्देशित किया था कि मई 2023 से दिसबंर 2023 तक तथा मार्च 2024 से मई 2024 तक निर्गत सभी बिल वापिस लिये जाएं और उन्हें संशोधित किया जाएं। माननीय विद्युत लोकपाल द्वारा निर्देशित किया गया था कि संशोधित बिल बिना एल.पी.एस.सी तथा वादी द्वारा भुगतान किये गये राशि को समायोजित करते हुए निर्गत किये जाएं।

2. वादी द्वारा आज की सुनवायी में बताया गया कि विभाग द्वारा माननीय विद्युत लोकपाल की निर्देशों का आंशिक अनुपालन किया है। वादी को अवगत करा दिया गया है कि वह प्रकरण में माननीय विद्युत लोकपाल के द्वारा निर्देशों के अनुपालन के लिए विभाग से संपर्क करें अन्यथा की स्थिति में वह माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग देहरादून में वाद दाखिल कर सकते है। उपरोक्त प्रकरण को मंच की सुनवायी में उपस्थित, श्री तुषार चौहान ए.ई.आर को भी अवगत करा दिया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, प्रकरण मंच की कार्यवाही से एतत् द्वारा निस्तारित है।

दिनांक – 31.07.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 322/2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0,
ग्राम– तल्ला–डोबा, बिसोना,
दवालीखेत,रानीखेत,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत, अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन/एकाउंट संख्या 40116950547 के सापेक्ष उन्हें जनवरी 2026 में 31045 यूनिट का, रू0 262978 का बिल प्राप्त हुआ हैं जो कि 20 किलोवाट विद्युत भार के लिए संभव नहीं है। उन्होने अधिक जमा की गयी राशि को वापिस करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1273 दिनांक 11.06.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 कर ली गयी है जिसके अनुसार यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबधित है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 07.07.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 07.07.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग से कोई आख्या प्राप्त हुयी है। अगली सुनवायी तिथि 31.07.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनक बिल प्रतिमाह लगभग 5000 यूनिट के आते रहे हैं जबकि जनवरी 2026 में उनका बिल 31045 यूनिट का रू0 262798 प्राप्त हुआ है जो कि गलत है। विभाग ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 कर ली गयी है जिसके अनुसार यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबधित है। वादी ने डंप रीडिंग को विगत के महिनों में वितरित कर एल. पी.एस.सी रहित बिल संशोधन का अनुरोध किया है।

31/07/26 31/7/2026

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह डंप रीडिंग को पिछले 24 महीनों में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ का लाभ देते हुए एंव संबंधित अवधि का एल.पी.एस.सी हटाते हुए संशोधित बिल 15 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराएं। तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

वादी द्वारा बताया गया है कि उनका बिल प्रतिमाह लगभग 5000 यूनिट के आते रहे हैं जबकि जनवरी 2026 में उनका बिल 31045 यूनिट का रू0 262798 प्राप्त हुआ है जो कि गलत है। विभाग ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 कर ली गयी है जिसके अनुसार यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबधित है। वादी ने डंप रीडिंग को विगत के महिनों में वितरित कर एल.पी.एस.सी रहित बिल संशोधन का अनुरोध किया है।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह डंप रीडिंग को पिछले 24 महीनों में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ का लाभ देते हुए एंव संबंधित अवधि का एल.पी.एस.सी हटाते हुए संशोधित बिल 15 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराएं। तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 31.07.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 324/2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0,
ग्राम– तल्ली सुनौली, द्वाराहाट,
रानीखेत,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत, अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन/एकाउंट संख्या 42100842313 के सापेक्ष उन्हें मार्च 2026 का बिल, 14908 यूनिट का रू0 126294 प्राप्त हुआ हैं जो कि 06 किलोवाट विद्युत भार के लिए संभव नहीं है। उन्होने यह भी बताया कि इस बिल में रू0 7805 का सरचार्ज भी लगा हुआ है जो कि उचित नहीं है। उन्होने अधिक जमा की गयी राशि को वापिस करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1275 दिनांक 11.06.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 कर ली गयी है जिसके अनुसार यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबधित है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 07.07.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 07.07.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग से कोई आख्या प्राप्त हुयी है। अगली सुनवायी तिथि 31.07.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनको मार्च 2025 से मार्च 2026 तक 14908 यूनिट का रू0 126294 का बिल निर्गत हुआ हैं जो कि संशोधित बिल था और जिसमें रू0 7805 की एल.पी.एस.सी लगी हुयी थी। उन्होने यह भी बताया कि उपरोक्त संशोधित बिल के सापेक्ष रू0 1407 की एल.पी.एस.सी और लगा दी गयी है। उन्होने उपरोक्त दोनों एल.पी.एस.सी हटाने का अनुरोध किया है जो कि उचित प्रतीत होता है।

31/07/26 31/7/2026

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 324/2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0,
ग्राम– तल्ली सुनौली, द्वाराहाट,
रानीखेत,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत, अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन/एकाउंट संख्या 42100842313 के सापेक्ष उन्हें मार्च 2026 का बिल, 14908 यूनिट का रू0 126294 प्राप्त हुआ हैं जो कि 06 किलोवाट विद्युत भार के लिए संभव नहीं है। उन्होने यह भी बताया कि इस बिल में रू0 7805 का सरचार्ज भी लगा हुआ है जो कि उचित नहीं है। उन्होने अधिक जमा की गयी राशि को वापिस करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1275 दिनांक 11.06.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 कर ली गयी है जिसके अनुसार यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबधित है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 07.07.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 07.07.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग से कोई आख्या प्राप्त हुयी है। अगली सुनवायी तिथि 31.07.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनको मार्च 2025 से मार्च 2026 तक 14908 यूनिट का रू0 126294 का बिल निर्गत हुआ हैं जो कि संशोधित बिल था और जिसमें रू0 7805 की एल.पी.एस.सी लगी हुयी थी। उन्होने यह भी बताया कि उपरोक्त संशोधित बिल के सापेक्ष रू0 1407 की एल.पी.एस.सी और लगा दी गयी है। उन्होने उपरोक्त दोनों एल.पी.एस.सी हटाने का अनुरोध किया है जो कि उचित प्रतीत होता है।

31/07/26 31/7/2026

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त एल.पी.एस.सी रहित बिल संशोधित कर 15 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराएं। तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

वादी द्वारा बताया गया है कि उन्हे मार्च 2025 से मार्च 2026 तक 14908 यूनिट का रू0 126294 का संशोधित बिल प्राप्त हुआ है जिसमें रू0 7805 की एल.पी.एस.सी लगी हुयी है। उन्होने यह भी बताया कि उपरोक्त संशोधित बिल के सापेक्ष रू0 1407 की एल.पी.एस.सी और लगा दी गयी है जिन्हें वादी ने हटाने का अनुरोध किया है जो कि उचित प्रतीत होता है।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त एल.पी.एस.सी रहित बिल संशोधित कर, 15 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 31.07.2026

31/7/26

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

31/7/2026

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

24-8-26

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 325 / 2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0,
ग्राम– चटगुला, द्वाराहाट,
रानीखेत,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत, अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन / एकाउंट संख्या 42100880029 के सापेक्ष उन्हें फरवरी 2026 में 18234 यूनिट का, रू0 161283 का बिल प्राप्त हुआ हैं जो कि 06 किलोवाट विद्युत भार के लिए संभव नहीं है। उन्होने यह भी बताया कि विभाग ने रू0 8579 का सरचार्ज भी लगा दिया है जो कि उचित नहीं है। उन्होने अधिक जमा की गयी राशि को वापिस करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1276 दिनांक 11.06.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 कर ली गयी है जिसके अनुसार यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबधित है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 07.07.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 07.07.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग से कोई आख्या प्राप्त हुयी है। अगली सुनवायी तिथि 31.07.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उन्हें फरवरी 2026 में 18234 यूनिट का, रू0 161283 का बिल प्राप्त हुआ हैं जो कि 06 किलोवाट विद्युत भार के लिए संभव नहीं है और जिसमें रू0 8579 का सरचार्ज लगा दिया है तथा इस बिल के बाद के भुगतान में भी रू0 1540 का सरचार्ज लगा है जबकि यह बिल संशोधित हुआ था जो कि उचित नहीं है

31/07/26

विभाग ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 कर ली गयी है जिसके अनुसार यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबधित है।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित बिल में लगाये गये एल.पी.एस.सी रू0 8579.87 तथा रू0 1540 को हटाते हुए, संशोधित बिल 15 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

वादी द्वारा बताया गया है कि उन्हें फरवरी 2026 में 18234 यूनिट का, रू0 161283 का बिल प्राप्त हुआ हैं जो कि 06 किलोवाट विद्युत भार के लिए संभव नहीं है और जिसमें रू0 8579 का सरचार्ज लगा दिया है तथा इस बिल के बाद के भुगतान में भी रू0 1540 का सरचार्ज लगा है जबकि यह बिल संशोधित हुआ था जो कि उचित नहीं है। विभाग ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 कर ली गयी है जिसके अनुसार यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबधित है।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित बिल में लगाये गये एल.पी.एस.सी रू0 8579.87 तथा रू0 1540 को हटाते हुए, संशोधित बिल 15 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 31.07.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 326/2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0,
ग्राम– भदगांव, पो0 ऑ0–चौबटिया,
रानीखेत,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत, अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन/एकाउंट संख्या 40116950776 के सापेक्ष जनवरी 2026 का बिल, 4835 यूनिट का रू0 351543 निर्गत हुआ था जो कि 23 किलोवाट विद्युत भार के लिए 02 महिने की अवधि का संभव नहीं है। उन्होने अधिक जमा की गयी राशि को वापिस करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1277 दिनांक 11.06.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 कर ली गयी है जिसके अनुसार यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबधित है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 07.07.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 07.07.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग से कोई आख्या प्राप्त हुयी है। अगली सुनवायी तिथि 31.07.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से काई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी ने बताया कि वादी के टॉवर अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है जहां अधिकतर परिसर बंद रहती है और जिसकी वजह से नियमित रूप से मीटर रीडिंग नहीं हो पाती है। उन्होने यह भी बताया कि वादी के मीटर की एम.आर.आई की गयी थी जिसके आधार पर उपरोक्त रीडिंग डंप पायी गयी। वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 पर सुनवायी की गयी और उपरोक्त से अवगत कराया गया

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त डंप रीडिंग को पिछले 24 महिनों में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ का लाभ देते हुए एल.पी.एस.सी रहित बिल 15 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे।

आदेश

विभाग द्वारा मीटर की एमआरआई0 की गयी जिसके आधार पर विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी का जनवरी 2026 में 48351 यूनिट का निर्गत रू0 351543 का बिल, डंप रीडिंग से संबंधित है।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह डंप रीडिंग को संबंधित अवधि में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ का लाभ देते हुए, यदि कोई हो तथा एल.पी.एस.सी रहित संशोधित बिल, 15 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 31.07.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

24-8-26

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 327/2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0,
ग्राम– मल्ली,मिरई, द्वाराहाट,
रानीखेत,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत, अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन/एकाउंट संख्या 40112619978 के सापेक्ष उन्हें मार्च 2026 का बिल, 47107 यूनिट का रू0 426349 प्राप्त हुआ हैं जो कि 21 किलोवाट विद्युत भार के लिए संभव नहीं है। उन्होने यह भी बताया कि इस बिल में रू0 25354 का सरचार्ज भी लगा हुआ है जो कि उचित नहीं है। उन्होने अधिक जमा की गयी राशि को वापिस करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1278 दिनांक 11.06.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 कर ली गयी है जिसके अनुसार यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबधित है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 07.07.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 07.07.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग से कोई आख्या प्राप्त हुयी है। अगली सुनवायी तिथि 31.07.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनको 2025 से मार्च 2026 तक 47017 यूनिट का रू0 426349 का 21 किलोवाट संयोजन के सापेक्ष निर्गत हुआ हैं जो कि संभव नहीं है। विभाग ने बताया कि वादी का परिसर अक्सर बंद होने के कारण नियमित रूप से रिडिंग नहीं हो पाती। विभाग ने यह भी बताया कि 2025 से मार्च 2026 तक 47017 यूनिट का रू0 426349 का 21 किलोवाट संयोजन के सापेक्ष निर्गत हुआ हैं जिसमें एल.पी.एस.सी के रूप में 25354.39 रू0 तथा इसके पश्चात् 4610 का सरचार्ज लगा दिया गया है। जिसको हटाने के लिए वादी ने अनुरोध किया है जो कि उचित प्रतीत होता है।

31/7/2026

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त एल.पी.एस.सी रहित बिल संशोधित कर 15 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराएं। तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

वादी द्वारा बताया गया है कि उनको 2025 से मार्च 2026 तक 47017 यूनिट का रू0 426349 का बिल, 21 किलोवाट संयोजन के सापेक्ष प्राप्त हुआ हैं जो कि संभव नहीं है। विभाग ने बताया कि वादी का परिसर अक्सर बंद होने के कारण नियमित रूप से रीडिंग नहीं हो पाती। विभाग ने यह भी बताया कि 2025 से मार्च 2026 तक 47017 यूनिट का रू0 426349 का 21 किलोवाट संयोजन के सापेक्ष निर्गत हुआ हैं जिसमें एल.पी. एस.सी के रूप में 25354.39 रू0 तथा इसके पश्चात् रू0 4610 का सरचार्ज लगा दिया गया है जिसको हटाने के लिए वादी ने अनुरोध किया है जो कि उचित प्रतीत होता है।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त दोनों एल.पी.एस.सी को हटाते हुए बिल संशोधित कर, 15 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक.– 31.07.2026

31/07/26

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य